



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22092022-238992  
CG-DL-E-22092022-238992

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 638]  
No. 638]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 22, 2022/भाद्र 31, 1944  
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 22, 2022/BHADRA 31, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली 22 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 719(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड निदेशालय आशुलिपिक ग्रेड I (समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 2021, का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड निदेशालय आशुलिपिक ग्रेड I (समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2022 है।  
(2) ये सरकारी राजपत्र में उनकी अधिसूचना की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड निदेशालय आशुलिपिक ग्रेड I (समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 2021 के नियम 2 के उप नियम (1) में,-  
(i) क्रम संख्या (iv) और उससे संबन्धित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :- "संभार तंत्र निदेशालय";  
(ii) क्रम संख्या (ix) और उससे संबन्धित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :- "मुनाफाखोरी रोधी महानिदेशालय";

(iii) क्रम संख्या (xii) और उससे संबन्धित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :- “विधि कार्य निदेशालय” ।

[फा.सं. ए-12018/07/2016-प्रशा.III.ख]

मोहम्मद आशिफ, अवर सचिव

टिप्पण:- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), सा.का.नि. संख्या 552 (अ) द्वारा तारीख 2 अगस्त, 2021 को प्रकाशित किए गए थे ।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department Of Revenue)**

**(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd September, 2022

**G.S.R 719(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central Board of Indirect Taxes and Customs Directorates Stenographer Grade-I (Group ‘B’, Non-Gazetted, Ministerial Post) Recruitment Rules, 2021, namely: -

1. Short title and commencement. – (1) These rules shall be called the Central Board of Indirect Taxes and Customs Directorates Stenographer Grade-I (Group ‘B’, Non-Gazetted, Ministerial Post) Recruitment (amendment) Rules, 2022.  
(2) They shall come into force on the date of their notification in the Official Gazette.
2. In the Central Board of Indirect Taxes and Customs Directorates Stenographer Grade-I (Group ‘B’, Non-Gazetted, Ministerial Post) Recruitment Rules, 2021, in rule 2, sub-rule (1), -
  - (i) for Serial number (iv) and the entry relating thereto, the following shall be substituted, namely: - “Directorate of Logistics”;
  - (ii) for Serial number (ix) and the entry relating thereto, the following shall be substituted, namely: - “Directorate General of Anti Profiteering”;
  - (iii) for Serial number (xii) and the entry relating thereto, the following shall be substituted, namely: - “Directorate of Legal Affairs”.

[F.No.A-12018/07/2016-Ad.III.B]

MOHAMMAD ASHIF, Under Secy.

**Note:** The principal rules were published vide Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), in G.S.R. 552 (E), dated the 2nd August, 2021.